

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आदेश सं.- 8/ज.स. (नि.) सु.परि.-07-06/2014

/राँची, दिनांक:-

आदेश

श्री गंगा राम ठाकुर, तत्कालीन सहायक अभियंता, लघु वितरणी अवर प्रमण्डल, घाटशिला के पद पर पदस्थापन अवधि में बरती गयी अनुशासनहीनता एवं गलत चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का प्रयास एवं सरकारी कार्यों के प्रति उदासीनता बरतने के लिए विभागीय संकल्प सं.- 1049 दिनांक 28.05.14 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की गहन समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई।

3. सम्यक विचारोपरांत सरकार ने श्री गंगा राम ठाकुर को विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया है:-

(I) निंदन।

(II) एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह0/-

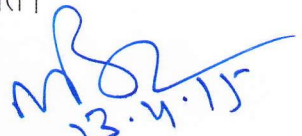
(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:- 1744

/

राँची, दिनांक:- 13.4.15

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/ कोषागार पदाधिकारी, दुमका/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ संयुक्त सचिव (प्र.) जल संसाधन विभाग, राँची/ वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची/ श्री गंगा राम ठाकुर, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।
13.4.15